



Neutral Citation No. - 2026:AHC:944

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18976 वर्ष 2025

रेनू देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता : अवनीशा कुमार, नरेंद्र सिंह

प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीशा कुमार ने वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसमें याचिकाकर्ता के पिपाड़ी-3 केंद्र, ग्राम पंचायत/वार्ड पिपाड़ी, सोनभद्र के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री पद के दावे पर निर्धारित अवधि के भीतर विचार करने हेतु संबंधित प्रतिवादी प्राधिकारी को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करने की माँग की गई है और याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 16.09.2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन (इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 5) पर विधि के अनुसार निर्णय लेने के लिए प्रतिवादी प्राधिकारी को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, साथ ही नए सिरे से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता भी दी गई है।

2. माननीय स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

3. तदनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।